[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : महोदय, आपके मार्गदर्शन में, सभा कई महत्त्वपूर्ण मामलों पर बहस कर सकी। कांग्रेस पार्टी और अन्य सदस्यों ने देश भर के किसानों और खेत मज़दूरों की समस्याओं और बाढ़ और सूखे के कारण तबाही और दुर्दशा को उठाया है।

दो संवैधानिक संशोधनों के पारित किए जाने के बावजूद भी, अनूसचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति को लागू न किए जाने पर ध्यान आकर्षित किया गया। इसलिए मैं, सरकार से निवेदन करती हूँ कि इन मामलों पर त्वरित कार्यवाही करें।

असम में हुई जनहानि और पूर्वोत्तर राज्यों में चल रही हिंसा का हमने व्यवहार्यतः विरोध किया है। हम इस संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों के अपने सार्थियों द्वारा चिंता का पूर्ण समर्थन करते हैं, और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाएं।

मुझे आशा है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कुछ विधेयकों को पारित करने में मदद की है उसे नोट किया होगा... *(व्यवधान)* यह सच है। आप इससे इंकार नहीं कर सकते।

परिसीमन संबंधी संविधान इक्यानवें संशोधन विधेयक भी एक ऐसा विधान है जिस पर हमारे समेत सभी दलों, जिसमें सत्तारूढ़ पक्ष भी शामिल है, को सावधानी से विचार करने की और मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है चूँकि इसका परिणाम बड़ा व्यापक होगा।

महोदय, तथापि मैं यह कहना चाहूँगी कि सरकार ने जो इस सत्र के दौरान कुछ प्रारूप कानून प्रस्तुत किए हैं उस पर हमारी ओर से ऐसा सहयोग नहीं मिला है। इनमें से अधिकांश कानूनों पर हम जनता की ओर से चिंता और हमारी ओर से कड़ी आपत्ति व्यक्त करेंगे।

इसी दौरान, चूँकि हम शीतकालीन अवकाश के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएँगे, हमें कुछ भारी उत्तरदायित्वों को पूरा करना है।

बहुत कुछ कार्य किया जाना बाकी है, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जो प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हैं।

इस सभा के हम सभी सदस्यों का विशेष उत्तरदायित्व है कि वे सरकार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सत्र के दौरान सभा के बाहर दिए गए वक्तव्यों के कारण अनावश्यक रूप से भड़की सांप्रदायिक भावनाओं को शांत करें।

अंतरसत्रावधि के दौरान, संसदीय और विभाग से संबंधित स्थाई समितियों की बैठकें होंगी। मैं पुनः सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगी कि वह इन बैठकों में दिए जाने वाले सुझावों पर अधिक ध्यान दें। ये विचार, न केवल हमारे हैं, बल्कि अन्य दलों तथा आपके पक्ष के अन्य सहयोगियों के भी हैं। बार-बार निवदेन करने के बाद भी हमारी इस मांग को नहीं माना गया है। अंतरसत्रावधि के दौरान हम सब सरकार के जम्मू-कश्मीर की स्थिति से निपटने के तरीके को देखेंगे। हम घाटी में शांति के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली पहल का समर्थन पहले ही कर चुके हैं, साथ ही हम आशा करते हैं कि यदि युद्ध-विराम के दौरान कोई बाधा आती है तो सरकार के पास कोई आकस्मिक योजना होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : भाषण खत्म नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : खत्म होने वाला है। चूँकि नई सहस्राब्दी का पहला वर्ष समाप्त होने वाला है इसलिए यह उचित होगा कि हम अपना आत्म-विश्लेषण करें, ताकि वह हमारी राजनीति के सभी चिरस्थाई पहलुओं पर परिलक्षित हो। यह हमारा सौभाग्य है कि हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। अतः यह प्रत्येक का दायित्व है कि वह देश की सेवा में अपना सर्वोत्तम न्यौछावर करें। हम न तो अपने विचारों को सीमित रखें और न ही अपना दृष्टिकोण संकुचित रखें, इससे हमारे देश की बहुविविधता और धर्मनिरपेक्ष-लोकतंत्र को बल मिलेगा।

महोदय, अंत में मैं आपको, प्रधानमंत्री जी को, उनकी सरकार को और इस सभा के सभी सदस्यों को सुखी और समृद्ध नववर्ष के लिए अपनी हार्दिक शुभकामना देती हूँ।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, तेरहवीं लोक सभा का पांचवां सत्र आज समाप्त होने जा रहा है। सत्र के साथ यह वर्ष भी समाप्त हो रहा है। हम मिलेंगे, तो नई शताब्दी में मिलेंगे, नई सहस्राब्दि में मिलेंगे। आपने जो तथ्य सामने रखे हैं, उससे हमारा पूरा लेखा-जोखा सामने आ जाता है।

सायं 6.00 बजे

इतनी बड़ी संख्या में बिल पास हुए, नए बिल पेश किए किए, सार्वजनिक महत्त्व के विषयों पर चर्चा के लिए वक्त मिला और टोका-टाकी के बावजूद बड़ी गर्म चर्चा हुई। यह उज्जवल पक्ष है जो भारतीय लोकतंत्र की प्राणवत्ता को प्रकट करता है। लेकिन आपने यह भी बताया कि कितने दिन काम नहीं हो सका। शायद उनकी संख्या 11 है। क्या नई शताब्दी में, अगले वर्ष में, हम इस चीज को बदलने के बारे में विचार कर सकते हैं। मैं पहले भी इस बात पर बल दे चुका हूँ और फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि संसद समय का दर्पण है, समाज की आशाओं, आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसलिए लोगों का आक्रोश, उनकी शिकायतें, उनके अभाव, यदि अन्याय है तो अन्याय अवश्य प्रतिबिंबित होते हैं और होने चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि संसदीय लोकतंत्र में यह किस तरह से किया जाए। क्या यह जरूरी है कि प्रश्नकाल न होने दिया जाए?

श्री मुलायम सिंह यादव : लोकतंत्र में प्रश्न काल रोकने के लिए भी कभी-कभी मजबूरी होती है। कुछ समय के लिए यह जरूरी होता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मामला पहले भी उठ चुका है और इसको मैं आज फिर उठाना चाहता हूँ कि जब अगला अधिवेशन शुरू होगा तो उससे पहले सबकी एक बैठक बुलाकर इस पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी। आज हम 11 बजे ही काम शुरू कर देते हैं, वह 12 बजे तक रुक सकता है, कोई घाटा नहीं होगा। अगर ठान ली है कि सत्र नहीं चलने पाएगा तो सत्र नहीं चलेगा। लेकिन सत्र चलते हुए भी अगर प्रश्न पूछे जा सकें और सरकार को उनका उत्तर देने के लिए विवश किया जाए—प्रतिपक्ष वाले तो बहुत दिनों तक सत्ता में रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मंत्रियों के लिए प्रश्न टाल दिया जाए, किसी दिन प्रश्न टल जाए, जिसके नाम से प्रश्न है, वह सदस्य सदन में न आए तो बड़ी राहत की सांस ली जाती है कि चलो बच गए, पता नहीं क्या हाल होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्न काल तो चलेगा लेकिन होने कहां दिया जाता है? इसलिए क्या आवश्यकता है कई दिनों तक सदन बंद रहे।

अब नेता प्रतिपक्ष के लिए यह सरल है कि आज के दिन जब हम गिले-शिकवे नहीं करते, गिले-शिकवे हम सब छोड़कर जाते हैं तो जो उज्ज्वल पक्ष है उसी पर बल देते हैं और भविष्य में हम अपने लोकतंत्र को किस तरह से बलशाली बनाएँगे और यह संसद किस तरह से जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी, इसका ख्याल करते हैं, तब भी उन्होंने आज हमें छोड़ा नहीं है—ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष अभी सदन में आई हैं, मैं पिछले 40 साल से संसद में हूँ और विरोधी दल में रहा हूँ। लेकिन हर समय मैंने मान मर्यादा का ख्याल रखा है। अगर सरकार के खिलाफ शिकायतें करनी हों और उसके लिए आखिरी दिन ढूँढ़ा जाए तो पता नहीं अभी तक क्या दृश्य उपस्थित होता। आज तक इस मर्यादा का पालन हुआ है लेकिन आज इसे तोड़ा गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : शैम-शैम कहकर भी मर्यादा तोड़ी गई है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक सीमा तक...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मुलायम सिंह जी संयम का आचरण कर रहे हैं और उसे सब लोग देख रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुलायम सिंह जी कभी इधर झुक जाते हैं और कभी उधर झुक जाते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम न इधर झुकते हैं और न उधर झुकते हैं। हम सत्य पर अटल रहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कलियुग में आप ही एक सत्यवादी हैं।

अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र एक जीवंत प्रक्रिया है। परिपाटियां हैं कि संसद ठीक चल सके, चर्चा के लिए अवसर दिए जा सकें और उसमें निंदा प्रस्ताव आ सकता है। काम रोको प्रस्ताव आया और उस पर चर्चा हुई। दूसरे सदन, जहां हमारा बहुमत नहीं है, वहां मतदान पर बल दिया गया। वहां सरकार अल्पमत में है, यह बात साबित हो गई लेकिन हम लोक सभा में बहुमत में हैं यह बात भी साबित हो गई। उस पर किसी को कोई शिकायत नहीं है, मगर जो काम हो, वह ढंग से होना चाहिए। लोकतंत्र की प्रक्रिया के अन्तर्गत होना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए एक रास्ता दिखाने वाला काम होना चाहिए। किसानों की समस्याओं से सरकार भी चिंतित है। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो डब्ल्यू.टी.ओ. का समझौता पहले कर लिया गया था, जिससे हमारे हाथ-पांव बँधे थे और हमें उत्तराधिकार में जो समझौता मिला था, उसके कई परिणाम हैं, जिन परिणामों का हमें सामना करना होगा। हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं लेकिन यह करते हुए अगर ऐसे तरीके अपनाए जाएँ जिनसे लोकतंत्र दुर्बल हो और आपस में कटुता बढ़े, वह ठीक नहीं होगा। हम चाहते हैं कि मणिपुर की जो स्थिति है, उसमें कुछ कार्रवाई की जाए लेकिन दूसरे सदन में हमारा बहुमत नहीं है। यहाँ हमारी सीमाएँ हैं और यहाँ सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी सहयोग मिलता भी है। पहले ज्यादा मिलता था। अब कुछ कम हो गया है। जैसे-जैसे चुनाव निकट आएगा, उग्रता बढ़ेगी। मैं इसके लिए दोष नहीं देता। जो आँकड़ों का खेल है, जो संख्या का खेल है, वह स्पष्ट है लेकिन प्रक्रिया का और हम बात क्या कहते हैं, इसका महत्त्व है लेकिन उसे किस तरह कहते हैं, इसका और भी ज्यादा महत्त्व है। अपनी बात कही जाए, अपनी नीतियां स्पष्ट की जाएँ, उनके अनुरूप उचित कदम उठाए जाएँ, लेकिन सदन की एक मर्यादा रहे।

अध्यक्ष महोदय, आपके साथ हमारी गहरी सहानुभूति है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था कि ऐसा क्यों होता है? आपने कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। हमसे सवाल पूछे जाते हैं लेकिन कभी-कभी आपसे सवाल पूछना अच्छा रहता है, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ। वर्ष की समाप्ति पर और शताब्दी के अंत में जब नई चुनौतियों का हमें सामना करना है तो संसद ठीक तरह से चले, इस पर एक बार फिर मिल-बैठकर विचार करने की जरूरत है।

महिला आरक्षण का सवाल लीजिए। सत्ता पक्ष तैयार था कि महिलाओं के लिए आरक्षण हो। अगर एक रास्ते से नहीं होता है तो हमने दूसरा रास्ता भी सुझाया था लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। अब किस को दोष दिया जा रहा है? क्या मैं भी नाम लेकर दोष देना शुरू करूँ? जो दूसरा सुझाव आया था, उसे क्यों नहीं स्वीकार किया गया? अगर

महिलाओं की शक्ति संवर्धन का हमारा उद्देश्य है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, यह हमारा लक्ष्य है तो दूसरे तरीके से वही उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता था। एक तरफ प्रतिपक्ष का एक भाग अड़ा है और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष का पूरा भाग अड़ा है। बात हुई नहीं, फिर भी दोषारोपण किया जा रहा है। मैं दोषारोपण के फेर में नहीं पड़ना चाहता। हमने अधिवेशन समाप्त किया है। हम अगले अधिवेशन में मिलेंगे। बीच में क्रिसमस का त्यौहार है। उसकी बधाई। हम ईद मनाएँगे। वह सबको मुबारक हो। नई शताब्दी में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए यह देश एक झंडे के नीचे खड़ा रहे जैसा आज खड़ा है, मैं समझता हूँ कि उसमें हम सहायक हों, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं मानता हूँ कि यह सदन उसमें योगदान दे रहा है।

[अनुवाद]

सायं 6.09 बजे

राष्ट्र-गीत

(राष्ट्र-गीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

सांय 6.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।